

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No. 2450/2025

in

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 3157/2025

Aklesh S/o Hari Singh, Aged About 35 Years, R/o Shyampura
Police Station Sadar Jhalawar District Jhalawar (Raj) (At Present
Confined In District Jail Jhalawar)

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Rohit Khandelwal
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

13/02/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **अकलेश** की ओर से विचारण न्यायालय—**विशिष्ट न्यायाधीश, एन0डी0पी0एस0 प्रकरण, झालावाड़** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या—**55/2021, सरकार बनाम अकलेश एवं अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **20.11.2025** के विरुद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम तीन वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी—अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है।

उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी—अभियुक्त दौराने विचारण जमानत पर आजाद रहा है तथा दौराने विचारण वह करीब एक माह न्यायिक अभिरक्षा में भी रहा है, तत्पश्चात् निर्णय की दिनांक 20.11.2025 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है। दौराने बहस उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण में एक किलो तीन सौ ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ है, प्रकरण में एन0डी0पी0एस0 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की गई।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने प्रकरण की गंभीरता की ओर ध्यान आकर्षित कराकर प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्षों के तर्कों वितर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों, अपीलार्थी की अभिरक्षा अवधि तथा प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी—अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/— रूपए (अक्षरे पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000—25000/—रूपए (अक्षरे पच्चीस—पच्चीस हजार रुपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दि. **13.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, वह उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **अकलेश पुत्र श्री हरी सिंह** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI/65